

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक : एफ 73-52/2013/बीस-3,

भोपाल, दिनांक 26/7/13

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय : अशासकीय शिक्षण संस्था कौटिल्या एज्युकेशनल एकेडमी, भोपाल रोड, खटम्बा, जिला देवास, म.प्र. को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

—0—

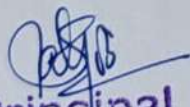
राज्य शासन द्वारा विषयांकित के संबंध में संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

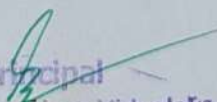
1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से संबद्धता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
2. संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी, देवास, म.प्र. अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
3. शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के.चौकसे)
उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
26/7/13


Principal
Kautilya Educational Academy
Bhopal Road, Khatamba DEWAS


Principal
Jawahar Navodaya Vidyalaya
Charuwa Distt. Harda (M.P.)


Manager
केन्द्रीय विद्यालय
सीहोर (म.प्र.)
Kautilya Educational Academy
Bhopal Road, Khatamba Dew

// 2 //

पृष्ठा. क्रमांक : एफ 73-52/2013/बीस-3,

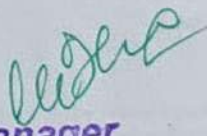
भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :-

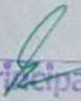
1. सचिव, अशासकीय शिक्षण संस्था कौटिल्या एज्युकेशनल एकेडमी, भोपाल रोड, खटम्बा, जिला देवास, म.प्र. को सी.बी.एस.ई. से संबद्धता मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-
 - (1) संस्था सी.बी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा किया जायेगा।
 - (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर या प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला देवास, म.प्र.।
4. आर्डर बुक।

उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


Principal
Kautilya Educational Academy
Bhopal Road, Khatamba DEWAS


Manager
Kautilya Educational Academy
Bhopal Road, Khatamba Dewa


1. 3. 18
प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
सीहोर (म.प्र.)


Principal
Jawahar Navodaya Vidyalaya
Charuwa Distt. Harda (M.P.)